मुस्लिम बालिकाओं की कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में भागीदारी पर अध्ययन

दिव्या बरनवाल*
मोना यादव**

शिक्षा आज सबके लिए समान है। शिक्षा, अब ग्रामीण इलाकों में, दुर्गम एवं शिक्षा प्रभावित क्षेत्रों तक पहुँच चुकी है। परंतु बालिका शिक्षा आज भी एक मसला बना हुआ है। हालाँकि, बालिका शिक्षा के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, खासतौर पर अल्पसंख्यक वर्ग एवं पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना दूर-दराज़ इलाकों से संबंधित बालिकाओं को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिए लागू की गई है। यह शोध-पत्र, शोध अध्ययन पर आधारित है, जिसका उद्देश्य मुस्लिम बालिकाओं की कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में भागीदारी एवं पाठ्यक्रम की प्रक्रिया तथा आधारभूत संरचना का अध्ययन करना था। यह शोध बिहार राज्य के पूर्णिया एवं किशनगंज ज़िले के बायसी खंड एवं त्योसा खंड में किया गया। प्रदत्त संकलन हेतु शोधिका द्वारा केस अध्ययन किया गया, जिसमें शोधिका ने छात्राओं, अध्यापकों एवं अभिभावकों से जानकारी प्राप्त की। शोध अध्ययन से पाया गया कि ये विद्यालय बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने के उन्मुक्त स्थान हैं, जहाँ पर वे अपनी क्षमताओं एवं कौशलों का विकास कर गुणवत्तापूर्ण जीवनयापन कर सकें। परंतु इन विद्यालयों में भौतिक संसाधनों एवं शिक्षकों की कमी पाई गई।

जैसा कि हम सब जानते हैं कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत प्रारंभिक शिक्षा आज हमारे बच्चों के लिए अब मौलिक अधिकार बन चुकी है। स्कूली शिक्षा के आँकड़े (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 2013) बताते हैं कि बालिका नामांकन दर प्राथमिक स्तर पर 103.7 प्रतिशत है जो माध्यमिक स्तर पर घटकर 60.8 प्रतिशत रह जाती है, जिससे यह प्रतीत होता है कि बालिकाओं की शिक्षा में भागीदारी अब भी कम है। प्राथमिक स्तर पर तो शत-प्रतिशत नामांकन हो रहा है, पर माध्यमिक स्तर तक आते-आते बहुत-सी बालिकाएँ विद्यालय छोड़ रही हैं।

देश की आज़ादी के बाद स्त्री एवं बालिका शिक्षा के स्वरूप में सुधार हेतु विभिन्न सुझाव आए यथा देशमुख समिति (1958), 1962 में हंसा मेहता

* *शोधार्थी*, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, सेक्टर 16 सी द्वारका, नयी दिल्ली 78
** *प्रोफ़ेसर*, जेंडर अध्ययन विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली

समिति, कोठारी आयोग (1964–66), राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद् (1970)। जिनका प्रभाव यह हुआ कि भिन्न-भिन्न प्रांतों में स्त्री एवं बालिका शिक्षा को भिन्न-भिन्न रूप में संगठित किया गया। इन विषमताओं को दूर करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) एवं इसकी कार्य योजना (1992) बनाई गई, जिसके तहत स्त्री एवं बालिका शिक्षा के स्तर में प्रसार एवं उत्थान हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जैसे—महिला समाख्या, नेशनल प्रोग्राम ऑफ़ एजुकेशन फ़ॉर गर्ल्स ऐट एलीमेंट्री लेवल (एन.पी.ई.जी.ई.एल.) ज़िला प्राथमिक शिक्षा योजना, के.जी.बी.वी. कार्यक्रम इत्यादि। हमारी पंचवर्षीय योजनाएँ भी इस क्षेत्र में सुधार हेतु अग्रसर रहीं। ज्ञातव्य है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) के तहत बालिका शिक्षा के सार्वभौमिकरण एवं प्रसार पर विशेष बल दिया गया था।

अत: इसी को ध्यान में रखते हुए अगस्त, 2004 में बालिका शिक्षा के प्रसार के क्षेत्र में एक नयी पहल 'कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय' का आगाज़ हुआ। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालय की स्थापना, शैक्षिक रूप से पिछड़े इलाकों में, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी एवं अल्पसंख्यक बालिकाओं के लिए की गई। इनमें 25 प्रतिशत स्थान गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों की बालिकाओं के लिए भी आरक्षित है। गौरतलब है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) में अनुशंसा की गई कि वंचित वर्ग — अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जिसे ध्यान में रखते हुए कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय को सर्व शिक्षा अभियान से जोड़कर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने का बीड़ा उठाया गया। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना का उद्देश्य विद्यालय में शत-प्रतिशत नामांकन व ठहराव, गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना एवं सशक्तीकरण पर विशेष ध्यान देना है। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय अब तक 27 प्रांतों के दुर्गम स्थानों में खोले जा चुके हैं। वर्ष 2001 के आँकड़ों के अनुसार मुस्लिम समुदाय की साक्षरता दर 59.1 प्रतिशत है, जिसमें महिला साक्षरता दर 50.1 प्रतिशत एवं पुरुष साक्षरता दर 67.6 प्रतिशत है। 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) ने ध्यानाकर्षित किया कि अल्पसंख्यक वर्ग में, विशेष तौर पर मुस्लिम वर्ग अभी भी शिक्षा की दिशा में काफ़ी पीछे है एवं मुस्लिम बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव पर विशेष बल देना चाहिए।

विभिन्न शोध अध्ययनों में भी मुस्लिम समुदाय की बालिकाओं की शिक्षा के बहुत कम भागीदारी के प्रमाण मिले हैं। कुछ अध्ययन के परिणाम इस प्रकार हैं—सिद्दीकी (1966), इमाम (1975), अहमद (1978) एवं भार्गव (1981) के अध्ययन में पाया गया है कि मुस्लिम वर्ग की महिलाओं के लिए पर्दा प्रथा, समय से पूर्व विवाह, निर्धनता, अशिक्षित होना, भेदभाव, महँगी शिक्षा इत्यादि प्रमुख ऐसे कारण रहे हैं, जो उनकी शिक्षा को बाधित करते हैं। प्रवीण (1995) ने मुस्लिम बालिकाओं एवं अभिभावकों में शिक्षा के

प्रति अभिवृत्ति पर अध्ययन में पाया कि 86 प्रतिशत अभिभावक एवं 93 प्रतिशत बालिकाओं का मानना है कि उच्च शिक्षा प्रोन्नति के लिए आवश्यक है। सच्चर समिति (2006) ने मुस्लिम समुदाय में व्याप्त विषमता के कारणों को चिह्नित किया है, वे हैं — पहचान संबंधी समस्याएँ एवं समता तथा समानता संबंधी समस्या। जेंडर यूनिट 2007 ने 12 राज्यों में कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय (के.जी.बी.वी.) के आने से बालिकाओं के नामांकन व ठहराव पर प्रभाव का अध्ययन किया, तो पाया गया कि अधिकतर राज्यों में कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय सक्रिय एवं सकारात्मक रूप से कार्य कर रहे हैं। गुजरात के मुस्लिम बहुल इलाके में मुस्लिम बालिकाओं का नामांकन ना होने के मुख्य कारण महँगी शिक्षा, अभिभावक की शिक्षा के प्रति रूढ़िवादी सोच एवं फ़र्क करना आदि विशेष है। यही परिणाम नूना (2011) के शोध अध्ययन से भी प्राप्त हुए। जबकि बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात एवं उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में ड्रॉप-आउट बालिकाओं का नामांकन है तथा अभिभावकों का कहना है कि कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय को कक्षा 8 से कक्षा 10वीं तक बढ़ा दिया जाए। नूना (2011) के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में मुस्लिम बालिकाओं का नामांकन ना होने के मुख्य कारण महँगी शिक्षा, अभिभावकों का शिक्षा के प्रति निष्क्रिय व्यवहार, लड़के और लड़कियों की शिक्षा के प्रति रूढ़िवादी सोच एवं फ़र्क करना, विद्यालयी सुविधाओं में कमी इत्यादि है।

इन्हीं अध्ययनों को देखते हुए बिहार के मुस्लिम बहुल क्षेत्र के कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों का अध्ययन किया गया था, जिसका उद्देश्य मुस्लिम बालिकाओं की कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में भागीदारी, पाठ्यक्रम की प्रक्रिया तथा आधारभूत संरचना का अध्ययन करना था।

शोध कार्यप्रणाली

इस अध्ययन के तहत बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के बायसी खंड एवं किशनगंज जिले के त्योसा खंड, जो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, का चयन किया गया। शोध अध्ययन में केस अध्ययन विधि का प्रयोग किया गया। अभिभावकों, अध्यापकों एवं छात्राओं का अवलोकन, समूह चर्चा एवं साक्षात्कार अनुसूची के आधार पर जानकारी प्राप्त कर विश्लेषण किया गया।

व्याख्या एवं विश्लेषण

किशनगंज जिले में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ज़्यादातर अभिभावक दिहाड़ी-मज़दूर, सिलाई, खेती आदि व्यवसाय से जुड़े थे। जिनकी मासिक आय 4000 से 5000 तक थी। ये निरक्षर या ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं थे। पूर्णिया जिले के कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में भी ज़्यादातर बालिकाओं के अभिभावक ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं थे। ये मज़दूरी-दिहाड़ी, खेती-बाड़ी, नाई, फेरी का काम कर महीने में लगभग 2000-6000 तक कमा लेते थे। परिवार बड़ा एवं बच्चों की संख्या ज़्यादा होने से अभिभावक अपने बच्चों को सही ढंग से शिक्षा देने एवं पालन-पोषण करने में सक्षम नहीं थे। अतः उन्हें कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय एक सार्थक ज़रिया मिला, जिसके माध्यम से वे अपनी बालिकाओं को शिक्षित कर रहे हैं।

विद्यालयों में बालिकाओं के प्रवेश की चयन प्रक्रिया की बात की जाए तो यह पाया गया कि चयन प्रक्रिया में लिखित एवं मौखिक, दोनों प्रकार की परीक्षा ली जाती थी। परंतु अध्ययन के दौरान यह ज्ञात हुआ कि यहाँ पर दाखिले से पहले लड़की का पाँचवीं पास का प्रमाण पत्र माँगा जाता था और योग्यता के आधार पर उनका दाखिला किया जाता था तथा एक परिवार से एक ही बालिका का चयन किया जाता था, जोकि कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय के चयन प्रक्रिया के प्रावधानों से अलग था। जबकि कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय उन बालिकाओं के लिए हैं, जो विद्यालय में कभी नामांकित नहीं हुई हैं या ड्रॉप-आउट हो चुकी हैं। अध्ययन के दौरान पूछे जाने पर कि कक्षा 6 की बालिकाओं के लिए ब्रिज कोर्स का क्या प्रावधान था? तो पाया गया कि त्योसा में 2012 से ब्रिज कोर्स बंद हो गया था। इससे पूर्व यहाँ प्रावधान था कि छठी में दाखिला लेने से पहले छह महीने तक ब्रिज कोर्स किया जाए।

अध्ययन के दौरान ज्ञात हुआ कि चयनित कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में मुस्लिम बालिकाओं की भागीदारी बढ़-चढ़ कर थी। मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी लड़कियों को सह-शिक्षा विद्यालय में भेजना पसंद नहीं करते, खासकर पाँचवीं के बाद अभिभावकों को कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय एक ऐसे शैक्षणिक एवं सामाजिक मंच के रूप में प्राप्त हुआ, जहाँ उनकी बालिकाएँ सुरक्षित थीं। लड़कियों का खाना-पीना, यूनिफ़ार्म, किताबें, पढ़ाई के साथ-साथ विभिन्न गतिविधियाँ, जीवन-संबंधी कौशल आदि, सब एक ही स्थान पर उपलब्ध थे, जिससे अभिभावकों ने आकर्षित होकर अपनी बालिकाओं को वहाँ भेजना शुरू किया।

> यहाँ पर लड़कियाँ हिजाब नहीं पहनती हैं। उन्हें यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं है। इन्हें यहाँ हिंदी माध्यम में पढ़ाया जाता है तथा उर्दू भी सिखाई जाती है। मगर क़ुरआन की कोई तालिम नहीं दी जाती। साक्षात्कार के दौरान पाया गया कि कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की लड़कियाँ सरकारी स्कूल के लड़कों से ज़्यादा चुस्त, दुरस्त व हर कार्य में आगे हैं।

यह भी पाया गया कि पूर्णिया जिले के बायसी खंड में मुस्लिम बालिकाओं के नामांकन दर में वृद्धि हुई थी, जबकि किशनगंज जिले के त्योसा खंड में मुस्लिम बालिकाओं के नामांकन दर में थोड़ी गिरावट देखी गई थी। इसका कारण पूछने पर पता चला कि अधिकतर अभिभावक खेती व मज़दूरी ही करते थे। अत: ये किसी आवश्यक कार्य या बीमारी का बहाना बनाकर अपनी बालिकाओं को विद्यालय से घर ले जाते थे, जो फिर वापस नहीं आती थीं। यहाँ पर अधिकतर लड़कियाँ अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखती थीं, जो सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई थीं। पिछले दो वर्षों में इस विद्यालय में बालिकाओं का नामांकन काफ़ी कम रहा है। लेकिन धीरे-धीरे मुस्लिम बालिकाओं की संख्या बढ़ती जा रही थी। उनकी भागीदारी बढ़ाने पर कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

आधारभूत संरचना के आधार पर अध्ययन करने पर कहा जा सकता है कि उपलब्धता एवं गुणवत्ता

संतोषजनक थी। त्योसा का कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय महिला सामाख्या योजना द्वारा संचालित था। जिसमें 100 बालिकाओं की आवासीय व्यवस्था थी। विद्यालय में कुल 11 कमरे थे, जिसमें शिक्षणकक्ष, ऑफ़िस, शयनकक्ष, रसोई घर, भंडारगृह एवं छह शौचालय तथा चार स्नानघर सम्मिलित थे, जो कि बहुत ही गंदे थे। विद्यालय में खेलने के लिए मैदान नहीं था, जो कि बालिकाओं के मानसिक, सामाजिक एवं शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है। वार्डन और कर्मचारियों के लिए अलग से कमरे का कोई प्रावधान भी नहीं था। वहाँ पर जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं पाई गई। निर्माण कार्य की गुणवत्ता भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, फ़र्श क्षतिग्रस्त पाए गए और फ़र्शों पर छेद भी हो रहे थे। ऑफ़िस में एक कंप्यूटर तो था, परंतु बिजली ना होने से एवं कंप्यूटर की शिक्षक/शिक्षिका ना होने से कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। अतएव बालिकाओं को कंप्यूटर चलाने का ज्ञान नहीं था। चूँकि यह विद्यालय कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना के तृतीय मॉडल के अनुसार था। अत: यहाँ पर विद्यालय से छात्रावास भी जुड़ा था। छात्रावास में रहने वाली बालिकाएँ कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय परिसर से बाहर नज़दीक के सरकारी विद्यालय में पढ़ने जाती थीं। दो यूनिफ़ॉर्म, किताबें, स्टेशनरी, उर्दू की किताबें सत्र प्रारंभ होते ही बालिकाओं को दे दी जाती थीं। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में सुरक्षा की दृष्टि से दो चौकीदार नियुक्त थे। यहाँ लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए कराटे भी सिखाए जाते थे। बातचीत करने पर पता चला कि यहाँ नियमित चिकित्सा जाँच नहीं होती थी, जो कि छात्रावास में रहने वाली बालिकाओं के लिए आवश्यक है।

बायसी का कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय सर्व शिक्षा अभियान योजना के तहत संचालित था। जिसका वर्ष 2007 से अपना निजी भवन था। यहाँ कुल नौ कमरे थे, जिनमें ऑफ़िस, शयनकक्ष, शिक्षण कक्ष, रसोई घर, सामुदायिक भवन एवं चार शौचालय तथा चार स्नानघर सम्मिलित थे। यहाँ पानी में आयरन की मात्रा अधिक होने के कारण शौचालयों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। बिजली की भारी समस्या के कारण ऑफ़िस में उपलब्ध एक कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता था और ना ही कोई कंप्यूटर शिक्षक/शिक्षिका उपलब्ध थे। खाना बनाने व पीने के पानी के लिए हैंडपंप का इस्तेमाल होता था, जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित नहीं था। पानी में आयरन की अधिकता से बालिकाएँ खुजली की समस्या से ग्रसित रहती थीं। यहाँ आने के बाद बालिकाएँ ज़्यादातर बुखार, कमज़ोरी, मलेरिया आदि बीमारियों से ग्रसित रहती थीं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए तीन वर्ष के अंतराल पर गद्दे बदले जाने चाहिए, जो कि नहीं बदले गए थे। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर एक गार्ड था, जो रात में चौकीदारी करता था। दिन में परिसर के कर्मचारी सहायता करते थे। बालिकाओं को कराटे सिखाए जाते थे, परंतु आत्म-रक्षा संबंधी कोई अन्य प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था।

चयनित कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में चलाए जा रहे पाठ्यक्रम पर नज़र डालें तो यहाँ सभी विषय पढ़ाए जाते थे। विद्यालय के अध्यापकों से साक्षात्कार करने पर ज्ञात हुआ कि बालिकाओं को गणित एवं विज्ञान विषय कठिन लगते थे। जिसकी वजह से बालिकाएँ कम अंक भी लाती थीं।

विद्यालय में बिहार विद्यालय शिक्षा समिति का ही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता था और माध्यम हिंदी था। अधिकतर बालिकाओं को अंग्रेज़ी विषय बहुत पसंद था। अध्ययन के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि विज्ञान विषय के अध्यापक नहीं थे। अत: विज्ञान ठीक तरह से नहीं पढ़ाया जाता था और न ही उर्दू सिखाई जाती थी। पर्यवेक्षण के दौरान यह पाया गया कि अध्यापिकाएँ शिक्षण सामग्री का बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करती थीं एवं शिक्षण प्रक्रिया में विभिन्न गतिविधियाँ भी शामिल नहीं की जाती थीं। शिक्षण-प्रशिक्षण प्रक्रिया मूल रूप से व्याख्या पद्धति पर आधारित थी। कक्षा में बातचीत से पता चला कि इन बालिकाओं को यहाँ कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में अच्छा लगता था। घर की कमी महसूस नहीं होती थी। ये सप्ताह में दो बार अपने माता-पिता से मिल लेती थीं। रमज़ान में उन्हें छुट्टी नहीं मिलती, परंतु नमाज़ वक्त पर अदा करती थीं। बालिकाओं से पूछे जाने पर कि जीवन कौशल से क्या समझती हैं? तो उन्हें जीवन कौशल की जानकारी ही नहीं थी और न ही इससे संबंधित कुछ बताया/सिखाया जाता था। बायसी के कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में सिलाई और संगीत सिखाया जाता था, वहीं त्योसा के कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की बालिकाओं को जीवन कौशल की थोड़ी बहुत जानकारी थी। इन बालिकाओं ने अपनी खुद की रचित कविताएँ, मन की बात, मेरा अनुभव, पेंटिंग आदि दिखाई, जिससे ज्ञात होता है कि उन्हें अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए उन्मुक्त वातावरण प्राप्त हुआ था। त्योसा में पेंटिंग, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग एवं सिलाई जैसे व्यावसायिक कोर्स कराए जाते थे।

बालिकाओं के विचार

विद्यालय में सीखने-सिखाने की प्रक्रिया, परिवेश आदि पर अभिभावकों, अध्यापिकाओं आदि से जानकारी प्राप्त करने के बाद बालिकाओं से रूबरू होने का मौका मिला। उनके अनुसार, उन्हें यहाँ कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय (के.जी.बी.वी.में) एक उन्मुक्त वातावरण प्राप्त हुआ। यहाँ वे खुल कर हँस सकती थीं, बोल सकती थीं, अपनी बातें कह सकती थीं। यहाँ पर इनकी बहुत सारी सहेलियाँ भी थीं। वे खुद मानती थीं कि वे पहले से ज़्यादा समझदार एवं मानसिक रूप से मज़बूत हो गईं। उनके अनुसार कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय को कक्षा आठ से आगे की कक्षाओं तक विस्तारित किया जाना चाहिए, ताकि उनकी शिक्षा बीच में ही न रुक सके।

अभिभावकों के विचार

यहाँ के ज़्यादातर अभिभावक कम पढ़े-लिखे थे। अतः उनकी लड़कियों के लिए कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय मार्गदर्शक के समान हैं। उनके अनुसार उनकी लड़कियाँ पहले से ज़्यादा आत्म-विश्वासी एवं समझदार हो गई थीं। वे अपनी लड़कियों को पढ़ाना तो चाहते थे, परंतु माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय घर से काफ़ी दूरी पर था। अतएव अभिभावकों के सुझाव थे कि कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय रूपी शैक्षिक मंच को कक्षा 12वीं तक विस्तारित किया जाना चाहिए,

ताकि उनकी लड़कियों को 12वीं तक पढ़ने का मौका मिल सके।

सुझाव

उपरोक्त व्याख्या एवं विश्लेषण के आधार पर यहाँ कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं —

1. कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में बिजली की उचित व्यवस्था कराई जाए जिसके लिए जेनरेटर या सोलर पैनल की उपलब्धता हो।
2. प्रशिक्षित कंप्यूटर शिक्षक/शिक्षिका उपलब्ध हो।
3. जीवन-कौशल व वोकेशनल ट्रेनिंग की शिक्षा उपयुक्त एवं ढाँचागत तरीके से प्रदान कराई जाए एवं इसके लिए प्रशिक्षित प्रशिक्षक की नियुक्ति की जाए ताकि किशोरियाँ स्वाबलम्बी बन सकें एवं वित्तीय रूप से सशक्त हो सकें।
4. भवन एवं प्रांगण का उचित मापदंड हो तथा बालिकाओं का नियमित चेकअप हो।
5. सबसे मुख्य बात विद्यालयों में पीने का स्वच्छ पानी अथवा आर-ओ की उचित व्यवस्था कराई जाए।
6. बालिकाओं के सामान्य ज्ञानवर्धन हेतु कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय (के.जी.बी.वी.) में ज्ञानवर्धक टेलीविज़न कार्यक्रम भी दिखाए जाने चाहिए।
7. बालिकाओं में आत्मविश्वास विकसित करने एवं खुद को अभिव्यक्त करने की सीख देने के लिए तथा पढ़ाई में रुचि बढ़ाने के लिए समय-समय पर शैक्षिक भ्रमण, शिक्षण सामग्री का प्रयोग, विभिन्न गतिविधि-आधारित शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया हो, बाल संसद का गठन हो।
8. विज्ञान और गणित विषय के लिए शिक्षकों की नियुक्ति जल्दी होनी चाहिए।
9. चौकीदार, रसोईया एवं सहायक को अलग से कक्ष मुहैया कराया जाए एवं उनके वेतन में भी समय-समय पर बढ़ोतरी की जाए।
10. टीचिंग एवं नॉन-टीचिंग स्टाफ़ को समय-समय पर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए।
11. सबसे अहम बात है कि यहाँ पर पाँचवीं पास सर्टिफ़िकेट प्राप्त बालिकाओं का नामांकन किया जाता है, जो दोषपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें यथाशीघ्र सुधार लाया जाना चाहिए।

उपसंहार

उपरोक्त चर्चा के बाद संक्षेप में कहा जा सकता है कि कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय भारत सरकार की अभूतपूर्व देन है, जिसने वंचित एवं अल्पसंख्यक वर्ग के अनामांकित तथा ड्रॉप-आउट बालिकाओं को लघु समाज रूपी मंच दिया है, ताकि वे गुणवत्तापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें। हालाँकि, यहाँ कुछ कमियाँ पाई गई हैं जिन पर समय रहते ही विचार किया जाना चाहिए ताकि कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना के उद्देश्य सकारात्मक रूप से पूर्ण हो सकें।

संदर्भ

अहमद, आई. 1978. *कास्ट एंड सोशल स्ट्रेटीफ़िकेशन अमंग द मुस्लिम*. मनोहर पब्लिकेशन, नयी दिल्ली.

इयाम, ज़ेड. 1975. *मुस्लिम इन इंडिया*. ओरिएंट लांगमैन लिमिटेड, नयी दिल्ली.

गवर्मेंट ऑफ़ इंडिया. 2006. *सच्चर कमेटी रिपोर्ट ऑन सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेट्स ऑफ़ द मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ़ इंडिया*. ए रिपोर्ट. नयी दिल्ली.

____. 2012. *रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशंस ऑन माइनॉरिटी गर्ल्स एजुकेशन*. मिनिस्ट्री ऑफ़ ह्यूमन रिसोर्स डेवलमेंट, नयी दिल्ली.

प्रवीन, एन. 1955. *ए स्टडी ऑफ़ एटीट्यूड्स टुवार्ड्स हाइयर एजुकेशन ऑफ़ मुस्लिम गर्ल स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स*. एम.एड. डिज़र्टेशन. डिपार्टमेंट ऑफ़ एजुकेशन. जामिया मिलिया इस्लामिया, नयी दिल्ली.

नूना, ए. 2011. *ए स्टडी बैरियर इन सैकेंडरी एजुकेशन (कक्षा 9-10) ऑफ़ मुस्लिम गर्ल्स*. अनपब्लिश्ड रिपोर्ट. डी.डब्ल्यू.एस. एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली.

भार्गव, के.डी. 1981. *ए सर्वे ऑफ़ इस्लामिक कल्चर एंड इंस्टीट्यूशंस*. किताब महल, इलाहाबाद.

सिद्दीकी, एम.एम. 1966. *वुमन इन इस्लाम*. इंस्टीट्यूट ऑफ़ इस्लामिक कल्चर. लाहौर.

हक़, एम. 1982. *इस्लाम इन सैक्यूलर इंडिया*. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ एडवांस्ड स्टडीज़, शिमला.

http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/statistics/EAG_2013.pdf

www.thesignage.co.in/PDF.../Kasturba%20Gandhi%20Balika%20Vidyalaya_1.pdf